Man held with banned vials

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, JULY 4

A 32-year-old Zirakpur resident has been arrested after the police recovered 10 banned injections from him.

According to the police, the accused, identified as Allen Johnson, a resident of Maya Garden, Zirakpur, was arrested from near the BSNL turn at Mani Majra.

The police said a police party was patrolling when it saw a man coming from the Kala Gram light point and fleeing on seeing it. The cops apprehended the accused and recovered banned injections from his possession.

A case has been registered against the accused under the NDPS Act at the Mani Majra police station.

CHANDIGAR

Action taken against gambling

CHANDIGARH: The Chandigarh police have arrested Amit Lal and Manoj Kumar, both residents of Village Daria, Chandigarh, while they were gambling near street number 11, Village Daria, Chandigarh and recovered cash worth Rs 580 from their possession. A case under Sections 13-3-67 of the Gambling Act has been registered at Industrial Area police station, Chandigarh. However, later both were released on bail. Investigation into the case is underway, said an official concerned. *DP*

Child Marriage Act

CHANDIGARH: A case under Section 10 of the Prohibition of Child Marriage Act 2006 has been registered at Sarangpur police station, Chandigarh, on the direction of Court against Rajinder Kumar, resident of Milk Colony, Dhanas, Chandigarh, who got married at the age of 19. Investigation into the case is underway, said an official concerned. *DP*

Daily Post Dt:05-07-2018

10 नशीले इंजैक्शनों के साथ काबू, जेल भेजा

जीरकपुर से मनीमाजरा आया था सप्लाई देने

चंडीगढ़, 4 जुलाई (लूना): मनीमाजरा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को 10 नशीले इंजैक्शनों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जीरकपुर के गांव पभात के पास पड़ने वाली सोसायडी माया गार्डन निवासी एलन जॉनसन के रूप में हुई है।

आरोपी के खिलाफ मनीमाजरा पुलिस स्टेशन में एन.डी.पी.एस. एक्ट-22 के तहत केस दर्ज कर उसे बुधवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मनीमाजरा थाने में तैनात सब-इंस्पैक्टर विद्या नंद स्नैचिंग की वारदातों के चलते पुलिस टीम के साथ आने-जाने वाले लोगों की चैकिंग कर रहे थे कि उसी दौरान उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर वापस मुड़ने लगा। पुलिस को शक हुआ कि शायद उसने कोई चोरी की है। पुलिस ने उसे पास से ही पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से पुलिस को 10 इंजैक्शन बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो मनीमाजरा में किसी को सप्लाई करने आया था।

दो जुआरी काबू, 580 रुपये बरामद

चंडीगढ़। गांव दड़वा की गली नंबर-11 के समीप से पुलिस ने दो लोगों को जुआ खेलते समय दबोचा। मौके पर ली तलाशी में आरोपियों के कब्जे से पुलिस को 580 रुपये बरामद हुए। आरोपियों की पहचान गांव दड़वा के ही रहने वाले अमित लाल और मनोज कुमार के रूप में हुई है। दड़वा चौकी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनसे पूछताछ की ताकि उन जगहों का पता लग पाता, जहां आरोपी जुआ खेलते हैं और उनके अन्य साथी कौन हैं। ब्यूरो

Amar Ujala Dt: 05/07/2018

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को लाने के लिए

अपना केस जानें तथा शिकायत निवारण शिविर

प्रत्येक माह के 1 शनिवार को

सभी पुलिस स्टेशनों/ युनिटों, ट्रैफिक पुलिस लाईन एवं साईबर क्राईम सैल में भी चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पहल

सामान्य जनता/ शिकायत कर्ता 07.07.2018 को अपने सम्बधित पुलिस स्टेशनों/ युनिटों पर प्रात: 10.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक अपनी शिकायतों के निवारण तथा ट्रैफिक चालान एवं शिकायतों के निपटान हेतु आने के लिए आमंत्रित है ।

इसके पीछे मुख्य विचार है कि कम समय के भीतर अधिकतम शिकायतों / ज्यादा प्रभावी ढंग से शिकायतों का निवारण किया जा सके ।

चंडीगढ़ पुलिस को सूचित करें ।
पुलिस कंट्रोल रूम : 100

CHANDIGARH POLICE
We care for you

http://chandigarhpolice.gov.in
E-mail : police-chd@nic.in
0172-2749194, 0172-2746444

Amar Ujala Dt: 05/07/2018

ट्रैफिक रूल तोड़ने की मत करना भूल.. ये पब्लिक है सब देखती है...

अमरीश शर्मा

चंडीगढ़। अगर आप भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी या उल्लंघन के आदी हैं तो ट्रैफिक पुलिस की नजर से भले बच जाएं लेकिन शहर की जागरूक जनता की नजर से नहीं बच सकते। शहर में कहीं किसी ने आपको ट्रैफिक रूल्स तोड़ते देख आपकी वीडियो बना ली या फोटो खींच कर ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउंट या फिर व्हाट्स एप नंबर पर भेज दिया तो आपका चालान पक्का है।

वैसे तो सोशल मीडिया के जरिए चालान की शुरुआत चंडीगढ़ पुलिस बहुत पहले ही कर चुकी है, लेकिन ट्रैफिक नियमों के प्रति शहर की आम जनता पहले के मुकाबले अब अधिक जागरूक हो चुकी है। शहरवासी खुद तो नियमों का पालन करते ही हैं, नियम तोड़ने वालों को भी अच्छे से सबक सिखा रहे हैं। इसका उदाहरण है चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउंट या फिर व्हाट्स एप नंबर पर आने वाली रोजाना की शिकायतें और इसके बाद जारी होने वाले ट्रैफिक वॉयलेशन के चालान। अमूमन तौर पर रोजाना ट्रैफिक पुलिस को तीनों माध्यमों से करीब 200 शिकायतें मिल रही हैं। इनकी जांच पड़ताल के बाद पुलिस उनके ट्रैफिक वायलेशन इन्फार्मेशन स्लीप (टीवीआईएस) जारी कर चालान ब्रांच को जारी करती है। इसके बाद उनके चालान किए जाते हैं।

इस साल जनवरी से अब तक ट्रैफिक पुलिस फेसबुक, ट्वीटर और व्हाट्स एप नंबर के माध्यम से ही 15885 चालान जारी कर चुकी है। इनमें अकेले व्हाट्सएप के माध्यम से ही 15632 चालान हुए हैं, जबकि फेसबुक के जरिए 127 और ट्वीटर के जरिए 126 चालान जारी कर चुकी है।

सेक्टर-17 के लाइट प्वाइंट पर बुधवार को जेब्रा क्रासिंग और उसके आगे खड़े वाहन चालक। अमित टॉक

पब्लिक ही नहीं पुलिस के भी होते हैं चालान

अक्सर पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि, वह ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले पुलिसकर्मियों के ही चालान नहीं करती। लेकिन, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस इस मामले में काफी सख्त है। इसका उदाहरण है, इस साल अब तक 10 पुलिसकर्मियों के भी चालान हुए हैं। यह वह मामले हैं, जिनमें लोगों ने पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन करने पर पुलिस को फेसबुक और ट्वीटर पर शिकायतें फोटो या वीडियो के साथ भेजी। इन सभी शिकायतों को खुद एसएसपी ट्रैफिक शशांक आनंद ने देखा और उस पर कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद उनके चालान किए गए।

सेक्टर-17 के लाइट प्वाइंट पर रेड लाइट क्रास करते वाहन चालक। अमर उजाला

पावर कट और ट्रैफिक जाम का अपडेट भी

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पर रोजाना ट्रैफिक जाम और पावरकट से संबंधित अपडेट भी लोगों को मिल रहे हैं। शहर के जिस भी हिस्से में हैवी जाम होता है तो ट्रैफिक पुलिस इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से जारी कर देती है ताकि लोग जाम में फंसने से बच सकें। इसके अलावा जिन एरिया में पावर कट लगना होता है उसकी सूचना भी आपको ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक और ट्वीटर अकाउंट से मिल सकती है।

15,885

लोगों के चालान 6 माह में कराए शहर की जागरूक जनता ने सोशल मीडिया के जरिए

यहां दे सकते हैं सुझाव व शिकायत

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के नाम से फेसबुक पेज जून 2011 से एक्टिव है

@trafficchd और **@ssptfc-chd** ट्वीटर हैंडल पर आप शिकायत और सुझाव दे सकते हैं। यह नवंबर 2017 से एक्टिव है।

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का व्हाट्स एप नंबर 9779580985 अगस्त 2014 से एक्टिव है

फेसबुक, ट्वीटर से ज्यादा शिकायतें व्हाट्स एप पर

शहर के जिम्मेदार और जागरूक लोग अब ट्रैफिक पुलिस की 'आंख' बन गए हैं और इसका माध्यम बना है सोशल मीडिया लेकिन, फेसबुक और ट्वीटर पर पहचान उजागर होने के डर से लोग अब व्हाट्स एप का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे शिकायत करने वालों की पहचान भी गुप्त रहती है और वॉयलेशन करने वालों को सबक भी मिल जाता है। वर्ष 2014 से ट्रैफिक पुलिस ने इसकी शुरुआत की थी। 2014 से अब तक व्हाट्स एप के जरिए मिलने वाली शिकायतों में तीन सौ गुना वृद्धि हुई है। इस साल ही अब तक 15632 शिकायतों पर चालान जारी हो चुके हैं।

फेसबुक के जरिए साल दर साल हुए चालान

वर्ष	टीवीआईएस इश्यू
2011	2559
2012	1512
2013	1023
2014	904
2015	238
2016	494
2017	217
2018 (अब तक)	127
कुल	7074

व्हाट्स एप के जरिए किए गए चालान

2014	448
2015	1619
2016	2172
2017	9735
2018 (अब तक)	15632
कुल	29606

ट्वीटर के जरिए इस साल किए गए चालान

जनवरी	25
फरवरी	18
मार्च	36
अप्रैल	22
मई	14
जून	11
कुल	126

सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से पब्लिक पुलिस की 'आंख और प्रहरी' बन सकती है। आबादी और गाड़ियां बढ़ने के साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन भी बढ़ गए हैं। शहर के जिम्मेदार नागरिक इसमें ट्रैफिक पुलिस को काफी सहयोग कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि वह कहीं भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन देखें तो उसकी फोटो या वीडियो बनाकर पुलिस को फेसबुक, ट्वीटर और व्हाट्स एप पर भेज सकते हैं। सभी की पहचान गुप्त रखी जाती है। साथ ही तारीख, समय और लोकेशन की जानकारी जरूर दें। साथ ही लोग अपना वाहन आगे किसी को बेचें तो उसकी ऑनरशिप जरूर ट्रांसफर करें।

- शशांक आनंद, एसएसपी ट्रैफिक

Amar Ujala Dt: 05/07/2018

अब हेलमेट के लिए हम हैं राजी...

सिटी की महिलाओं और लड़कियों ने हेलमेट को लेकर दिए आदेश का स्वागत किया

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। लगातार ट्रैफिक हादसों की शिकार हो रहीं लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर अब यूटी प्रशासक ने सभी महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इससे आदेश से सिख महिलाओं को छूट है, लेकिन सिटी में टू व्हीकल के पीछे बैठने वाली महिलाओं को भी हेलमेट पहनना होगा। ऐसे में बुधवार को सिटी की महिलाओं एवं लड़कियों ने आदेश को खुशी से स्वीकार किया। बातचीत में अधिक महिलाओं ने कहा कि हेलमेट वाहन चालक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में शहर में ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है। गौरतलब है कि यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने महिलाओं को हेलमेट अनिवार्य होने पर अंतिम मंजूरी दी है। वीरवार या शुक्रवार तक अधिसूचना जारी हो जाएगी।

चंडीगढ़ सेक्टर 21 में एक शॉप पर हेलमेट की खरीदारी करती युवतियां। अमर उजाला

हेलमेट सभी के लिए जरूरीः मनीषा

वाहन चलाते समय सभी को हेलमेट बनना चाहिए। मैं हमेशा से ही हेलमेट पहनती हूं। सही मायने मेंयह आदेश सराहनीय कदम है।

हेलमेट पर आदेश सही है : आशा

यह आदेश सही है। सड़क हादसों में बचाव के लिए हर किसी को हेलमेट पहनना चाहिए, ताकि सुरक्षा हो।

हर हाल में हेलमेट पहनूंगीः हिमांती

मैं पहले हेलमेट नहीं पहनती थीं, लेकिन अब जरूर पहनूंगी। क्योंकि इससे हमारी ही सुरक्षा होगी। सभी को इस आदेश का स्वागत करना चाहिए।

हेलमेट से हमारा ही बचावः प्रियंका

हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए है। इससे हमारा ही बचाव होता है। वाहन चलाते समय हेलमेट सभी को पहनना चाहिए।

कई साल से हेलमेट पहन रही हूंः सुमेधा

मैं जब से स्कूटर चला रही हूं, तब से हेलमेट पहनती हूं। शुरूआत में भारी लगता था। लेकिन अब बिना हेलमेट डाइव नहीं करती।

Amar Ujala Dt: 05/07/2018

Drive against liquor consumption

CHANDIGARH: A special drive against consuming liquor at public place was carried out at different parts of the city in which total five cases under Sections 68-1 (B) of the Punjab Police Act 2007 and 510 of the Indian Penal Code got registered. In continuation of this drive against consuming liquor at public place, on Tuesday, total six persons were arrested while consuming liquor at public place. However, all were later released on bail. *DP*

One held under NDPS Act

CHANDIGARH: The Chandigarh police have arrested Allen Johnson, resident of Maya Garden, Zirakpur, and District Mohali (PB) near BSNL turn, Chandigarh and recovered 10 injections of drugs from his possession. A case under Section 22 of the NDPS Act has been registered at Mani Majra police station, Chandigarh. Investigation into the case is underway, said an official concerned. *DP*

Daily Post Dt:05-07-2018